

UPGK010021612024



न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-4, गोरखपुर।

आपराधिक प्रकीर्ण सं० 139/2024

शैलेश कुमार गुप्ता वगैरह-----बनाम-----उ० प्र० राज्य व अन्य

दिनांक 20.03.2026

पत्रावली पेश हुयी। बार-बार पुकार पर आवेदकगण अनुपस्थित। आवेदकगण की ओर से कोई स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं है।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत प्रकरण वाद संख्या- 752/2023 श्रीमती परवीन फातिमा वगैरह बनाम शैलेश कुमार गुप्ता अन्तर्गत धारा 146 (1) दं० प्र० सं० ,थाना- राजघाट, जनपद गोरखपुर में विद्वान विचारणीय न्यायालय नगर मजिस्ट्रेट मंडल, गोरखपुर द्वारा पारित आदेश दिनांकित 06.06.2023 के विरुद्ध संस्थित करने हेतु विलम्ब को माफ किये जाने हेतु अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया है। पत्रावली अग्रिम आदेश में नियत है। आवेदकगण दिनांक 02.09.2025 से लगातार अनुपस्थित हैं, जबकि आवेदकगण को न्यायहित में अंतिम अवसर दिया गया है, परन्तु उसके बावजूद भी वह अनुपस्थित हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें प्रश्नगत प्रकरण में कोई रुचि नहीं है। अतः प्रस्तुत आपराधिक प्रकीर्ण आवेदकगण की अनुपस्थिति के परिप्रेक्ष्य में खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत आपराधिक प्रकीर्ण संख्या 139/2024, आवेदकगण की अनुपस्थिति में खारिज किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक 20.03.2026

(नन्द कुमार)
अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं०-4,
गोरखपुर।
J.O Code UP-01702